कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– 1592/XXV–21/2014 देहरादून : दिनांक 10 सितम्बर, 2014

MOST URGENT

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 4/आर.टी.आई./31/उत्तरा0/उ0अनु.–II/2014/211 दिनांक 22 अगस्त, 2014 के माध्यम से प्राप्त श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया **प्रकरण पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या** इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या– 1592 / XXV–21/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून को आयोग से प्राप्त उनके उपरोक्त वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

स्पीड पोस्ट

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली–110001.

सं0: 4/आर.टी.आई./31/उत्तरा0/उ.अनु.–II/2014/211 तारीख: 22 अगस्त, 2014.

सेवा में,

श्री हर्ष रतूड़ी,
130/77,
कालीदास मार्ग,
देहरादून – 248001,
उत्तराखण्ड.

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने तारीख 07 अगस्त, 2014 के आवेदन–पत्र, जो आयोग में तारीख 14 अगस्त, 2014 को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ लें।

इस संबंध में आपको यह कहा जा सकता है कि आपके 16 जुलाई, 2014 का पत्र आयोग में 18 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुआ और जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को आयोग के पत्र संख्या 30/यू.के.डी./2014/एन.एस.–2 दिनांक 19 अगस्त, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है तथा इस संदर्भ में आप आगे की गई कार्रवाई के बारे में जानने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड से संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(कुमार राजीव)
अवर सचिव एंव
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून (इस निवेदन के साथ की आवेदक के आवेदन (प्रति संलग्न) तथा आयोग के दिनांक 19 अगस्त, 2014 के पत्र (प्रति संलग्न) के संदर्भ में की गई कार्रवाई द्वारा आवेदक तथा आयोग को शीघ्र अवगत कराने हेतु।
2. गार्ड फाईल
3. आर0 टी0 आई0 अनुभाग को उनकी डायरी संख्या 1411ए दिनांक 14 अगस्त, 2014 के संदर्भ में।

S. No. 1(R)

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोका रोड़
नई दिल्ली–110001

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिन्दुवार निम्न वांछित सूचनायें तदसंबन्धी दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रति सहित उपलब्ध करवाने की कृपा करें :-

1 इण्डिया पोस्ट की रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा संख्या **RV555516628IN** दिनांक 16 जुलाई, 2014, जो कि आपके कार्यालय में दिनांक 19 जुलाई, 2014 को प्राप्त हो चुका है, के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को पृष्ठांकित प्रार्थना पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2014(आपके त्वरित संदर्भ हेतु प्रति संलग्न), में निहित विषयवस्तु व तत्संबन्धी प्रस्तुत साक्ष्यों का संज्ञान लेकर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के स्तर से प्रश्नगत विषय में अब तक कृत कार्रवाई से प्रार्थी को तदसंबन्धी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित अवगत करवाए जाने का विनम्र आग्रह है।

सूचना प्राप्ति हेतु नियत शुल्क की धनराशि का आपके पक्ष में देय भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 28एफ 165698 संलग्न हैं।

प्रार्थी,

07/08/14
(हर्ष रतूड़ी)
130 / 77 कालीदास मार्ग
देहरादून–248001

दिनांक : 07 अगस्त, 2014
संलग्न : पोस्टल ऑर्डर क्रमांक : 28एफ 165698

सेवामें,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय : एक मतदाता का नाम एक ही समय में दो--दो संसदीय / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विगत ग्यारह वर्षों (वर्ष 2003 से लेकर अब तक) से सम्मिलित होने के सम्बन्ध में

महोदय,

उक्तांकित विषयक रिटर्निंग अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित और आपको पृष्ठांकित मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 04 जून, 2014 के बिन्दु 2 व आपके विभागीय लोक सूचनाधिकारी को सम्बोधित प्रार्थी के आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 07 मई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। प्रार्थी के उक्तसंदर्भित आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी, पौडी व जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार(आपके त्वरित संदर्भ हेतु तत्संबन्धी सूचनाओं की प्रतियां सलग्न) श्री रमेश पोखरियाल निशंक⊗पुत्र स्व. श्री परमानन्द पोखरियाल का नाम वर्ष 2003 से लेकर अब तक पौडी व देहरादून दोनों ही स्थानों की मतदाता सूचियों में एक ही अवधि में एक साथ सम्मिलित रहा है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा / नियम 17 व 18(पृष्ठ 44) में निहित प्रावधानों के अनुसार -"एक समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।"

उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे निवेदन है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950(भाग--2, संसद के अधिनियम) की धारा / नियम 31 व 32 में निहित निर्देशानुसार-- मिथ्या घोषणाएं करने व निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों के भंग होने के कारण सबन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के साथ ही अन्य व्यक्ति जो प्रश्नगत निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से ससक्त या तत्सबन्धी प्रविष्टि को प्रश्नगत निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने ससक्त पदीय कर्तव्य के भंग होने के आरोप में संबन्धितों के विरुद्ध आपके स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की महति कृपा करें साथ ही इस विषय में आपके स्तर से कृत कार्रवाई से प्रार्थी को भी अवगत करवाए जाने की विनम्र प्रार्थना है।

प्रसंगवश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 की उपधारा (2) व (3) में निहित निर्देशानुसार उक्त से संबन्धित दोषियों के विरुद्ध कोई भी सक्षम न्यायालय उपधारा(1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकेगा, जब तक कि निर्वाचन आयोग या सम्पृक्त राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन परिवाद न किया गया हो, तदनुसार इस विषय में आपके स्तर से समुचित कार्रवाई किए जाने का करबद्ध निवेदन है।

प्रार्थी,

⊗ वर्तमान सांसद, हरिद्वार

Ratauri
16/7/14
(हर्ष रतूडी)
130 / 77 कालीदास मार्ग
देहरादून 248001

दिनांक : 16 जुलाई, 2014

संलग्नक : जिला निर्वाचन अधिकारी पौडी व देहरादून से प्राप्त पत्र

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड़ नई दिल्ली को विषय में उपयुक्त कार्रवाई के निवेदन सहित प्रेषित।

Ratauri
16/7
(हर्ष रतूडी)

संलग्नक- उक्तानुसार

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

स्पीड पोस्ट द्वारा

विषय : एक मतदाता का नाम एक ही समय में दो–दो संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विगत ग्यारह वर्षों (वर्ष 2003 से लेकर अब तक) से सम्मिलित होने के सम्बन्ध में

महोदया,

उक्तांकित विषयक रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित और आपको पृष्ठांकित मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 04 जून, 2014 के बिन्दु 2 व आपके विभागीय लोक सूचनाधिकारी को सम्बोधित प्रार्थी के आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 07 मई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। प्रार्थी के उक्तसंदर्भित आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी व जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार(आपके त्वरित संदर्भ हेतु तत्संबन्धी सूचनाओं की प्रतियां संलग्न) श्री रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र स्व. श्री परमानन्द पोखरियाल(*)का नाम वर्ष 2003 से लेकर अब तक पौड़ी व देहरादून दोनों ही स्थानों की मतदाता सूचियों में एक ही अवधि में एक साथ सम्मिलित रहा है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा/नियम 17 व 18(पृष्ठ 44) में निहित प्रावधानों के अनुसार –"एक समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।"

उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे निवेदन है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950(भाग–2, संसद के अधिनियम) की धारा/नियम 31 व 32 में निहित निर्देशानुसार– मिथ्या घोषणाएं करने व निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों के भंग होने के कारण संबन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के साथ ही अन्य व्यक्ति जो प्रश्नगत निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या तत्संबन्धी प्रविष्टि को प्रश्नगत निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग होने के आरोप में संबन्धितों के विरुद्ध आपके स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की महति कृपा करें साथ ही इस विषय में आपके स्तर से कृत कार्रवाई से प्रार्थी को भी अवगत करवाए जाने की विनम्र प्रार्थना है।

प्रसंगवश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 की उपधारा (2) व (3) में निहित निर्देशानुसार उक्त से संबन्धित दोषियों के विरुद्ध कोई भी सक्षम न्यायालय उपधारा(1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकेगा, जब तक कि निर्वाचन आयोग या सम्पृक्त राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन परिवाद न किया गया हो, तदनुसार इस विषय में आपके स्तर से समुचित कार्रवाई किए जाने का करबद्ध निवेदन है।

प्रार्थी,

(*) वर्तमान सांसद, हरिद्वार

(हर्ष रतूड़ी)
130/77 कालीदास मार्ग
देहरादून–248001

दिनांक : 16 जुलाई, 2014
संलग्नक : जिला निर्वाचन अधिकारी पौडी व देहरादून से प्राप्त पत्र

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली को विषय में उपयुक्त कार्रवाई के निवेदन सहित प्रेषित।

16/7/14
(हर्ष रतूड़ी)

संलग्नक: उक्तानुसार

भारत निर्वाचन आयोग / Election Commission of India
प्राप्ति 987
18 JUL 2014
RECEIVED
नई दिल्ली / New Delhi

पंजीकृत

संलग्न–10

अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधी प्रपत्र

/ /कार्यालय लो0सू0अ0 / जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल / /

संख्या 559/29–35(6) / 2012–13 दिनांक 4 मई, 2014.

श्री हर्ष रतूड़ी,
130 / 77 कालीदास मार्ग,
देहरादून–248001

विषय:– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1157 / XXV–12 (1–5) / 2008 दिनॉक 15 मई, 2014 जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित थी का सन्दर्भ ग्रहण करें। आप द्वारा वांछित बिन्दुओं संबंधी सूचना निम्नवत हैं:–

बिन्दु संख्या 2– डॉ0 रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द, निवासी– 192 अपर बाजार, पौड़ी की वर्षवार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम की सूचना निम्नवत है:–

निर्वाचक नामावली वर्षवार	निर्वाचक नामावली भा0 स0 व कम संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता का नाम	आयु	फोटो पहचान–पत्र संख्या
1	2	3	4	5	6
2003	15 / 507	रमेश	परमानन्द	44	UP / 2 / 005 / 018641
2006	17 / 447	रमेश	परमानन्द	41	—
2007	17 / 431	रमेश	परमानन्द	42	—
2008	17 / 407	रमेश	परमानन्द	43	UP / 02 / 005 / 018642
2009	103 / 407	रमेश	परमानन्द	44	UP / 02 / 005 / 018642
2010	103 / 387	रमेश	परमानन्द	45	UP / 02 / 005 / 018642
2012	106 / 373	डा. रमेश पोखरियाल निशंक	परमानन्द	47	UP / 02 / 005 / 018642
2014	110 / 379	डा. रमेश पोखरियाल निशंक	परमानन्द	49	UP / 02 / 005 / 018642

बिन्दु संख्या 3– में वांछित सूचना हेतु निर्वाचन विधि निर्देशिका की जिल्द 1 के पृष्ठ 46 की छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु निःशुल्क संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता :–

जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौडी गढवाल (उत्तराखण्ड)

सलग्नक– उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 2/6/14
(नवनीत पाण्डे)
लोक सूचना अधिकारी /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी–गढ़वाल।

प्रतिलिपि:– अनुभाग अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक 1157 / XXV–12 (1–5) / 2008 दिनॉक 15.5.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 2/6/14
(नवनीत पाण्डे)
लोक सूचना अधिकारी /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौडी–गढ़वाल।

VOTER SLIP / मतदाता पर्ची

...d Name of AC	37 Pauri 37 पौडी
...No	110
...m/Moholla	Upar Bazar W. No. 4 अपर बाजार वार्ड नं. 4
...oter Serial No	379
...louse No	192
Name	Dr Ramesh Pokhiriyal Nishank डा. रमेश पोखिरियाल निशंक
Father's/Mother's/ Husband's Name	Paramannd परमानन्द
Sex	M
Age	49
EPIC No	UP/02/005/0186412
Polling Station No and Name	110 Pauri R.N. 2..V. Intermediate Collage 110 पौडी क.सं. 2 .डी.ए.वी. इण्टरमीडिएट कालेज
Poll Date, Day and Time :	7 May 2014 ,7:00 AM T0 6:00 PM 7 मई 2014 (बुधवार) . प्रात: 7:00 से सांय 6:00 बजे तक

नोट 1 यह वोटर स्लिप पहचान के लिए अनुमोदित अभिलेख है।
नोट 2 यह प्रमाणिक वोटर स्लिप पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमन्य होगी।
नोट 3 यदि इस वोटर स्लिप में मतदाता का फोटोग्राफ नही है या गलत विवरण अथवा फोटोग्राफ अंकित है .ऐसी स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।
नोट 4 वोटर स्लिप का अनधिकृत रूप से वितरण / वोटर स्लिप (निर्वाचन सामग्री) पर किसी भी प्रकार से अनधिकृत कब्जा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं आइ. पी. सी. के सुसगत नियमो का उल्लघन माना जायेगा,जो कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दडनीय हो सकता है।
नोट 5 मतदेय स्थल के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा(स्टिल/वीडियो/डिजिटल) और मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है

कार्यालयः– जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून ।

कचहरी परिसर, देहरादून–248001

टेलीफोन / फैक्स न0 (0135)–2624216

दिनांक 19 जून, 2014.

संख्या 992 / 22–10 / 2013–2014

अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधित प्रपत्र

सेवा में,

श्री हर्ष रतूडी
130 / 77 कालीदास मार्ग, देहरादून।

विषय:-- सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1157 / XXV- 12 / (1–5)2008 दिनांक 15 मई, 2014 जो इस कार्यालय को 22 मई 2014 को प्राप्त हुआ है, मय संलग्नक अपने पत्र दिनांक 11–3–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक को सम्बन्धित सूचना का विवरण उपलब्ध कराया जाना होता है, किसी प्रकार की सूचना को तैयार करना / शोध करना / ढूढे जाने का कोई प्राविधान नहीं दिया गया है।

बिन्दू संख्या 1–श्री रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द पोखरियाल निवासी 37 / 1 विजय कालोनी देहरादून का नाम वर्ष 2003 की मतदाता वोटर लिस्ट में दर्ज होना पाया गया है।

बिन्दू संख्या 2– जिला देहरादून से संबंधित नहीं है।

बिन्दू संख्या 3– से सबंधित पृष्ठ के कुल 2 निःशुल्क संलग्न प्रेषित हैं।

यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् हैं, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता–अपर जिलाधिकारी (प्र.) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि--1--मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी,
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

VOTER SLIP / मतदाता पर्ची

nd Name of AC	22 Mussoone 22 मसूरी
t No	54
ram/Moholla	Vijay Colony Ward No. 7 विजय कालोनी वार्ड न. 7
Voter Serial No	761
House No	37/ 1
Name	Ramesh Pokhriyal Nishank रमेश पोखरियाल निशंक
Father's/Mother's/ Husband's Name	Parama Nand Pokhriyal परमा नंद पोखरियाल
Sex	M
Age	54
EPIC No	RLA0129585
Polling Station No and Name	54 New Cantt Road (R.No. 1).Center School Hatibadkula No.2 54 न्यू कैन्ट रोड क.न. 1) .केन्द्रीय विद्यालय हाथीबड़कला न.2
Poll Date. Day and Time	7 May 2014 .7:00 AM T0 6:00 PM 7 मई 2014 (बुधवार) . प्रात 7 00 से साय 6:00 बजे तक

नोट 1 यह वोटर स्लिप पहचान के लिए अनुमोदित अभिलेख है।

नोट 2 यह प्रमाणिक वोटर स्लिप पहचान के एक दस्तावेज के रूप में अनुमन्य होगी।

नोट 3 यदि इस वोटर स्लिप में मतदाता का फोटोग्राफ नही है या गलत विवरण अथवा फोटोग्राफ अंकित है .ऐसी स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है।

नोट 4 वोटर स्लिप का अनधिकृत रूप से वितरण / वोटर स्लिप (निर्वाचन सामग्री) पर किसी भी प्रकार से अनधिकृत कब्जा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एव आइ. पी. सी. के सुसगत नियमो का उल्लघन माना जायेगा.जो कारावास या जुर्माना अथवा दोनो से दंडनीय हो सकता है।

नोट 5 मतदेय स्थल के अदर किसी भी प्रकार का कैमरा(स्टिल/वीडियो/डिजिटल) और मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है

प्रपत्र–10

।। कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / उपजिलाधिकारी पौडी ।।

संख्या 56 / 43–लो0सू0अ0–2014 दिनांक पौडी जून 12 ,2014

सेवा में

श्री हर्ष रतूड़ी,
130 / 77 कालीदास मार्ग,
देहरादून।

विषय :– सूवना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप द्वारा वांछित सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि आपके सूचना अधिकार अनुरोध पत्र दिनांक 13–05–2014 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 05–06–2014 को प्राप्त हुआ है को सूचना अधिकार अधिनियम पंजिका के कम संख्या–56 / 2014 पर नियमानुसार अंकित किया गया है।

2– आपके द्वारा अपने उक्त अनुरोध पत्र में जिन दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी, उनका विवरण एवं ततसम्बन्धित सूचना निम्नवत है।यथा–

बिन्दु संख्या–1

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द निवासी 192 अपर बाजार, पौड़ी मतदाता पहिचान पत्र संख्या UP/02/005/0186412 मतदाता कमांक 379 का नाम 37–पौडी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत भाग संख्या–110 अपर बाजार वार्ड संख्या–4 ,मतदान केन्द्र 110 पौड़ी कक्ष संख्या–2 डी0ए0वी0 इण्टरमीडिएट कालेज, पौड़ी की मतदाता सूची में सम्मिलित है। डा0 रमेश पोखरियाल निशंक पुत्र श्री परमानन्द को मतदाता पर्ची जारी की गयी है।

बिन्दु संख्या–2

जहां तक प्रश्नगत मतदाता कमांक के सापेक्ष दिनांक 07 मई, 2014 को प्रयुक्त किये गये मत के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारियों द्वारा जो अभिलेख प्राप्त करवाये जाते है वे कोषागार के डबल लॉक में सील्ड कर दिये जाते है। अतः अभिलेख सील्ड होने की दशा में इस सम्बन्ध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

यदि आप उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो अपीलीय अधिकारी जिनका पदनाम निम्नवत है, अपील कर सकते है।

अपीलीय अधिकारी–लोक सूचना अधिकारी / जिलाधिकारी,गढ़वाल।

(पी0एल0शाह)
लोक सूचना अधिकारी /
उपजिलाधिकारी, ब0 पौडी ।

S-Mo 25 (R)

By Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.30/UKD/2014/NS-II /455 **Dated: 19th August, 2014.**

To,

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand,
Dehradun.

Subject: Preparation and Issuance of E-Rolls/EPICs related Complaints - State of Uttarakhand – Reg.

I am directed to forward herewith a copy of each of the complaint received from the persons mentioned in the table below, on the subject cited, and request you to look into the matter and take necessary action at your end: -

S. No.	**Name & Address of the Complainant (S) S/Sh/Smt.**	**Date of Complaint**
1.	Harsh Raturi, 130/77, Kalidas Marg, Dehradun, Uttarakhand	16/07/2014
2.	Madan Mohan Pant, Member of District Executive, Kashipur, Uttarakhand	12/05/2014

Yours faithfully,

(KUMAR RAJEEV)
UNDER SECRETARY

O/C

जारी किया/ISSUED ON
19 AUG 2014
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
नई दिल्ली/New Delhi